कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक–249/दो–12–29/2021 दमोह, दिनांक 14 जून, 2022.

इस स्थापना पर पदस्थ रहे स्व. श्री राजेश कुमार तिवारी पिता श्री गोपी प्रसाद तिवारी सहायक ग्रेड–दो की दिनांक 06.01.2021 को शासकीस सेवा में रहते हुए मृत्य होने के कारण, उनके पुत्र श्री यश तिवारी पिता स्व. श्री राजेश कुमार तिवारी को सहायक ग्रेड–3 प्रवर्ग के पद पर **अनुकंपा नियुक्ति** प्रदान किये जाने की अनुमति रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक सी/2148/चार–3–1/65 (दमोह) जबलपुर दिनांक 06.05.2022 के द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अनुमोदित निम्नलिखित अभ्यर्थी को **सहायक ग्रेड–3** के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200+ ग्रेडपे 1900 (म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत के अंतर्गत लेवल 04 के पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 19500–62000/–) में एवं देय अन्य भत्ते पर तीन वर्ष की परिवीक्षा पर एवं अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन अन्य आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है :–

| स. क्र. | नाम, पिता/पति का नाम | पद | वर्ग | लिंग | दिव्यांग | आवंटित प्रवर्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री यश तिवारी पिता स्व. श्री राजेश कुमार तिवारी, निवासी विवेकानंद नगर थाना कोतवाली तहसील व जिला दमोह (म.प्र.) पिनकोड–470661 | सहायक ग्रेड–3 | अनारक्षित | पुरूष | नहीं | अनारक्षित (जनरल) |

–:: शर्तें ::–

1. अभ्यर्थी नियमानुसार 03 (तीन) वर्ष की समयावधि में म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप–आई.टी.) अथवा म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य एजेन्सी/इंस्टीट्यूशन से सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड परीक्षा तथा म.प्र.शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से कम्प्यूटर एपलीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में सेवा समाप्त किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार तीन वर्ष परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी को मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करना होगा, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि अभ्यर्थी द्वारा मृतक शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है तो अभ्यर्थी की अनुकंपा नियुक्ति समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड से आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी समय/स्तर पर असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की सेवायें स्वमेव निरस्त मानी जावेंगी तथा नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु चरित्र सत्यापन प्रपत्र पूर्ति कर मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो अभ्यथी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

6. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी आरक्षी थाने में अनुसंधान लंबित नहीं होने व किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने एवं न ही विचाराधीन होने के संबंध में तथा किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/ अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

7. अभ्यर्थी द्वारा अपनी वैवाहिक स्थिति एवं संतान के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

8. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के नियम–6 के अनुसार वह अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र होगा/होगी जो निम्न में कोई हो :–
(ए)–उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
(बी)–उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियॉं (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
(सी)–जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।
(डी)–जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
(ई)–जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते हुए आगामी प्रसव में दो से अधिक संतान का जन्म होता है)।

9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के नियम–6 के सम्बन्ध में अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर, अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगीं तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही भी की जावेगी।

10. The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment & Conditions of Service) Rulse, 2016, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 एवं मध्यप्रदेश (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम–1966 के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश/निर्देश, यथास्थिति लागू होंगे।

11. नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण काल मध्यप्रदेश जिला न्यायिक स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के नियम–17 के अनुसार रहेगा। रजिस्टर्ड डाक से नियुक्ति आदेश प्रेषित किये जाने की दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य है।

12. अभ्यर्थी की सेवायें सदैव शासनाधीन है, किसी भी समय आपकी सेवायें ली जा सकती है।

13. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।

14. अभ्यर्थी बिना अनुमति लिये किसी शैक्षणिक परीक्षा अथवा अन्य नियोजन हेतु सीधे आवेदन नहीं करेगें।

15. अभ्यर्थी नियुक्ति पद पर उपस्थित होने के पश्चात् उक्त सेवा के अलावा अन्य किसी नियोजन/व्यवसाय/वृत्ति में नियोजित नहीं रहेगें।

16. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के कूटरचित अथवा असत्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी तथा वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

17. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

18. शैक्षणिक, तकनीकी एवं अर्हकारी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन में असत्य पाये जाने पर, सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में की गई घोषणा असत्य पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक/अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही भी की जावेगी।

19. अभ्यर्थी अन्य किसी जिला न्यायिक स्थापना पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तर हेतु 3 (तीन) वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

15/6/2022

(श्रीमती रेणुका कंचन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक–1685 / दो–12–29/2021 दमोह, दिनांक 15 जून, 2022

प्रतिलिपि :–

1– श्री यश तिवारी पिता स्व. श्री राजेश कुमार तिवारी, निवासी विवेकानंद नगर थाना कोतवाली तहसील व जिला दमोह (म.प्र.) पिनकोड–470661 MOBILE NO.8109789960

2– जिला कोषालय अधिकारी दमोह (म.प्र.)

3– प्रभारी अधिकारी, लेखा/कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म. प्र.) की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने तथा संबंधित अभ्यर्थी को ईमेल किये जाने हेतु प्रेषित।

5– लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक/आफिस मोहर्रिर/प्रेषक लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)